



Email - aomumbai@fssai.gov.in

Website: <https://westregion.fssai.gov.in/>

Contact no.022-40046392

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
1201, 12 वीं मंजिल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, पिन-400051

Date: 30.03.2026

PUBLIC NOTICE (Enforcement) 2/2026

Subject: - Adherence to the labelling requirements as per Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 – reg.

It has been observed during routine surveillance activities undertaken in the jurisdiction of FSSAI, West Region, that some products in the marketplace are being offered for sale in violation to the provisions of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, read along with Section 23 of FSS Act, 2006, whereby the following contraventions have been noted –

- i) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food has been received/purchased,
- ii) Details of name and complete address of importer and/or Brand Owners and FSSAI License numbers of importer, Brand Owner and/or manufacturer as the case may be, is not provided on the label.

Such products not only violate the regulations but also poses challenges in terms of traceability and dealing with consumer grievances.

2. In the matter the liability of a wholesaler/distributor/seller is clearly laid down under Section 27 of FSS Act, 2006. Thus, all wholesalers, distributors and sellers shall be liable for non-compliances of above noted violations under Section 27 of the Act.

3. In this regard, attention is also drawn to the Public Notice 1/2024 dated 18.04.2024 issued vide File No.Z-16/1/2024-WRO, wherein it has been emphasized that all business operators, including importers, shall comply with FSSAI labelling requirements for goods under import. As such, at the same time Customs at port ought to secure such compliance for the goods under import in terms of supra Public Notice.

4. Thus, the instant Public Notice is being issued to re-iterate the provisions of the FSS Regulations and to bring attention towards the responsibilities of wholesalers, distributors and sellers. In an explicit manner they should accept only compliant article of food and ought to turn down to accept non-compliant goods until they are made compliant by the suppliers.

5. In the absence of these compliance wholesalers, distributors and sellers shall be responsible for any legal compliances as may emerge from case to case. Whereas, at the same time, such goods may be prohibited for sale by jurisdictional Licensing Authority of FSSAI or Designated Officers of State FDAs under Section 36 of FSS Act, 2006.

6. Further, it shall be the liability of the jurisdictional officer to take necessary action in all such matters of non-compliances. At the same time, wholesalers, distributors and sellers

should expeditiously be given the opportunity to rectify such labelling mistakes by additional stickering after verifications of such details, so as to avoid spoilage and prolonged detention of the goods. Such facilitation in the instant way shall ensure a balanced action of law i.e. in terms of compliances to the provisions and allowing regular business to flow.

7. It is to be noted that any further action as per extant provisions of FSS Act, 2006, Rules, Regulations made there under may be initiated against anyone found in violation to the said provisions as applicable under Section 52 of FSS Act, 2006 on the case-to-case basis.

8. This is brought to the immediate notice of all the concerned parties and stakeholders. Any difficulty being faced in the operation of this notice may be brought in the knowledge of this Office.

Digitally signed by
Pritee Chaudhary
Date: 02-04-2026
16:33:15

Pritee Chaudhary, IRS
Regional Director,
FSSAI, WR, Mumbai

Copy to: -

1. The Director, Regulatory Compliance Division, FSSAI – HQ
2. The Office of the Pr. Chief Commissioner of Customs – Zone II, JNCH, Mumbai
3. The Commissioner of Food Safety - Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Daman & Diu, and Dadra & Nagar Haveli
4. Central Licensing Authorities, FSSAI, West Region
5. All Trade Bodies
6. Notice Board of FSSAI, WR office and website
7. Guard File – Public Notice



Email - aomumbai@fssai.gov.in Website: <https://westregion.fssai.gov.in/> Contact no. ०२२-४००४६३९२

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
१२०१, १२वीं मंजिल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, पिन-४०००५१

दिनांक: ३०.०३.२०२६

सार्वजनिक सूचना (प्रवर्तन) २/२०२६

विषय:- खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, २०२० के अनुसार लेबलिंग आवश्यकताओं के पालन - संबंध में

एफएसएसआई, पश्चिम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में की गई नियमित निगरानी गतिविधियों के दौरान यह देखा गया है कि बाजार में कुछ उत्पादों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के प्रावधानों के उल्लंघन में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, जिसे एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 23 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें निम्नलिखित उल्लंघनों को नोट किया गया है -

- उस विनिर्माता या वितरक की, पहचान बताने वाला नहीं है जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया गया था
- आयातक और/या ब्रांड मालिकों के नाम और पूरा पता और आयातक, ब्रांड मालिक और/या निर्माता के एफएसएसआई लाइसेंस नंबर का विवरण, जैसा भी मामला हो, लेबल पर प्रदान नहीं किया गया है।

ऐसे उत्पाद न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि ट्रेसिबिलिटी और उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के मामले में भी चुनौतियां निर्माण करते हैं।

2. इस मामले में एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 27 के तहत थोक व्यापारी/वितरक/विक्रेता का दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, सभी थोक व्यापारी, वितरक और विक्रेता अधिनियम की धारा 27 के तहत उपरोक्त उल्लिखित उल्लंघनों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. इस संबंध में, फ़ाइल संख्या Z-16/1/2024-WRO द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना 1/2024 दिनांक 18.04.2024 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आयातकों सहित सभी व्यवसाय ऑपरेटर, आयात के तहत वस्तुओं के लिए FSSAI लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। इस प्रकार, उसी समय बंदरगाह पर सीमा शुल्क को अत्यावश्यक सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में आयात के तहत सामग्री के लिए इस तरह के अनुपालन को सुरक्षित करना चाहिए।

4. इस प्रकार, एफएसएस विनियमों के प्रावधानों को दोहराने और थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है। स्पष्ट तरीके से उन्हें केवल अनुपालन वाली खाद्य सामग्री ही स्वीकार करनी चाहिए और गैर-अनुपालक वस्तुओं को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उन्हें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुपालन न कर दिया जाए।

5. इन अनुपालनों के अभाव में थोक विक्रेता, वितरक और विक्रेता मामले-दर-मामले सामने आने वाले किसी भी कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि, उसी समय, ऐसे सामान को एफएसएसआई के क्षेत्राधिकार वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी या राज्य एफडीए के नामित अधिकारियों द्वारा एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 36 के तहत बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

6. इसके अलावा, गैर-अनुपालन के ऐसे सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करना क्षेत्राधिकार अधिकारी का दायित्व होगा। साथ ही, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं को ऐसे विवरणों के सत्यापन के पश्चात अतिरिक्त स्टिकरिंग द्वारा ऐसी लेबलिंग गलतियों को सुधारने का अवसर शीघ्रता से दिया जाना चाहिए, ताकि माल के खराब होने और लंबे समय तक रखे जाने से बचा जा सके। तत्काल तरीके से ऐसी सुविधा कानून की संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी यानी प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में और नियमित व्यापार को प्रवाहित करने की अनुमति देगी।

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के मौजूदा प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों के अनुसार कोई भी आगे की कार्रवाई, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत मामले-दर-मामले के आधार पर लागू उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की जा सकती है।

8. इसे सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों के तत्काल ध्यान में लाया जाता है। इस नोटिस के संचालन में आने वाली किसी भी कठिनाई को इस कार्यालय की जानकारी में लाया जा सकता है।

Digitally signed by

Pritee Chaudhary

Date: 01-04-2026

13:39:32

प्रीति चौधरी, भा. रा. से.,
क्षेत्रीय निदेशक,
एफएसएसएआई, पश्चिम क्षेत्र

प्रति:

1. निदेशक, विनियामक अनुपालन प्रभाग, एफएसएसएआई – मुख्यालय
2. सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय – Zone II, JNCH, Mumbai
3. खाद्य सुरक्षा आयुक्त - महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली
4. केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारियों, एफएसएसएआई, पश्चिम क्षेत्र
5. सभी व्यापार निकाय
6. एफएसएसएआई, पश्चिम क्षेत्र कार्यालय और वेबसाइट का सूचना पट्ट
7. गार्ड फाइल - सार्वजनिक नोटिस